


**राजस्थान आवासन मण्डल**  
**खान भांकरी एवं गुप्तेश्वर रोड आवासीय योजना, दौसा**  
**में उपलब्ध सम्पत्ति की मोहरबंद प्रस्ताव द्वारा भव्य नीलामी**

नीलामी बोली हेतु मोहरबंद प्रस्ताव प्राप्त करने की अवधि दिनांक 27.02.2017 से 01.03.2017 को प्रातः 11.00 बजे तक खण्ड कार्यालय में	नीलामी बोली में प्राप्त मोहरबंद प्रस्तावों को खोलने की तिथि 01.03.2017 दोपहर: 02:30 बजे स्थान – कार्यालय आवासीय अभियन्ता खण्ड-दौसा राजस्थान आवासन मण्डल, दौसा के कार्यालय में
---	--

क्र.सं.	आवासीय भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/ निर्मित दुकान	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	बोली मूल्य रुपये/ वर्ग मीटर में	संलग्न की जाने वाली अमानत राशि	आरक्षित वर्ग
<b>खान भांकरी रोड, दौसा में उपलब्ध व्यावसायिक भूखण्ड</b>					
1.	A-11	Ordinary	13.5	38900/-	26258.00
<b>गुप्तेश्वर रोड, दौसा में उपलब्ध व्यावसायिक भूखण्ड</b>					
1.	CS-3/S-2	Ordinary	13.5	31300/-	21128.00
2.	CS-3/S-3	Ordinary	13.5	31300/-	21128.00
3.	CS-3/S-4	Ordinary	13.5	31300/-	21128.00
4.	CS-3/S-5	Ordinary	13.5	31300/-	21128.00

बिडदाताओं द्वारा नीलामी बोली में बिड प्रस्तुत करने हेतु बिड आवेदन पत्र मय नीलामी बोली की शर्तों के विस्तृत विवरण, निम्नलिखित संबंधित खण्ड कार्यालयों से किसी भी कार्य दिवस में अथवा मण्डल की वेबसाईट [www.rhbonline.rajasthan.gov.in](http://www.rhbonline.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

सम्पर्क सूत्र :- कार्यालय आवासीय अभियन्ता, 1/68, खान भांकरी रोड, राजस्थान आवासन मण्डल  
 खण्ड-दौसा, फोन नं. 01427-223875, 9983655461



(सर्बजीत सिंह)

आवासीय अभियन्ता

राजस्थान आवासन मण्डल  
 खण्ड-दौसा

लिफाफे पर लिखे जाने वाले विवरण का प्रारूप

- 1) भूखण्ड का विवरण :  
(अ) योजना का नाम ..... सैक्टर.....  
(ब) आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड/प्लिंथ लेवल निर्मित आवास/ निर्मित दुकान/ निर्मित भवन संख्या..... (जो लागू ना हो उसे काट दें। )
- 2) बिड दाता का नाम :.....
- 3) श्रेणी-सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति :.....
- 4) संलग्न अमानत राशि रुपये..... (डी0डी0/बैंकर चैक) संख्या.....  
दिनांक..... जारीकर्ता बैंक का नाम.....
- 5) मुहरबंद बिड खोलने की निर्धारित तिथि :.....

बिडदाता के हस्ताक्षर



1. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिये बोलीदाता को न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी तथा राशि रु. 10 करोड़ से अधिक के न्यूनतम बोली मूल्य पर अमानत राशि के रूप में रु. 50.00 लाख अथवा न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो जमा करानी होगी।
2. उच्चतम बोली दाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा कराई गई राशि को समायोजित करते हुए 72 घण्टे में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस को जमा करानी होगी।
3. शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं कराता है तो जमा राशि जप्त कर ली जावेगी ओर बोली स्वतः ही निरस्त हो जावेगी।
4. बिड प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि / समय के पश्चात प्राप्त हुए मुहरबन्द बिड प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. बिड प्रस्ताव में यदि बिडदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लेख किया जाता है तो ऐसे सशर्त बिड प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. बिडदाता द्वारा परिसम्पत्ति की अंकों में व शब्दों में प्रस्तुत बिड दर / राशि में अन्तर होने पर शब्दों में उल्लेखित बिड दर / राशि ही मान्य होगी।
7. किसी एक अथवा समस्त बिड प्रस्तावों को बिना कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है एवं इस सम्बन्ध में कोई वाद / विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
8. आवासीय भूखण्ड / व्यावसायिक भूखण्ड / संस्थानिक भूखण्ड / निर्मित आवास / निर्मित दुकान / निर्मित भवन "जहाँ है जैसा है" के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे।
9. आवासीय भूखण्ड / व्यावसायिक भूखण्ड / संस्थानिक भूखण्ड / निर्मित आवास / निर्मित दुकान / निर्मित भवन का वास्तविक माप मौके पर उपलब्ध अनुसार ही अन्तिम होगा एवं तदानुसार ही गणना की जावेगी।
10. किसी परिसम्पत्ति हेतु प्राप्त मुहरबन्द बोली प्रस्तावों में से एक से अधिक बोलीदाताओं द्वारा समान दर प्रस्तुत करने की स्थिति में समिति द्वारा मौके पर उपस्थित एक समान बोलीदाताओं से बन्द लिफाफे में उसी समय पुनः दर प्राप्त की जावेगी। जो कि पूर्व में प्रस्तुत दर से कम नहीं होगी। किसी बोलीदाता के मुहरबन्द बिड खोले जाने के समय पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में उसका दरों के संबंध में किसी प्रकार का वाद मान्य नहीं होगा।
11. आवासीय भूखण्ड/निर्मित आवास के लिए लीज मनी की राशि आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत वार्षिक एवं व्यावसायिक भूखण्ड/निर्मित दुकान के लिए भूमि की आरक्षित दर की 5.0 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त रूप से देय होगी।
12. आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1042/379 दिनांक 23.09.2013 के अनुसार संस्थानिक आवंटन में लीज राशि आवंटित दर पर ली जावेगी।
13. बिड के संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल के नियमों/शर्तों में समय समय पर किये गये संशोधन/संवर्धन मान्य होंगे।
14. नीलामी के संबंध में विस्तृत शर्तें एवं विवरण मेरे द्वारा मण्डल की वेबसाइट [www.rajasthanhousingboard.raj.govt.in](http://www.rajasthanhousingboard.raj.govt.in) से प्राप्त कर ली गई है।
15. आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड एवं संस्थानिक हेतु प्रति वर्ग मीटर की दर से बिड प्रस्तुत करने के निर्देशों के विपरित यदि बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड की एक मुश्त कीमत बिड में भरी जाती है तो ऐसी स्थिति में अन्य बोलीदाताओं की दरों से तुलना की दृष्टि से एक मुश्त कीमत को विज्ञप्ति में दर्शित भूखण्ड के क्षेत्रफल से विभाजित कर प्रति वर्ग मीटर दर निकाली जायेगी।

आवेदक का फोटो  
स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित

आवेदक के हस्ताक्षर

- 1) बिहदाला का नाम : .....
- 2) पिता/पति का नाम : .....
- 3) सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति : .....
- (अवजात/जजात के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- 4) पता .....
- 5) पैन नम्बर ..... (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- 6) दूरभाष ..... मोबाइल नं० .....
- 7) अमानत राशि एवं परिसम्पत्ति का विवरण :-
- (अ) योजना का नाम..... सैक्टर .....
- (ब) आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/स्थल लेवल निर्मित आवास/निर्मित कुकान /निर्मित भवन (जो लागू न हो उसे काट दें) संख्या..... माप..... के लिए न्यूनतम बिह मूल्य अनुसार अमानत राशि रुपये..... की डीडी/बैंकर चैक संख्या..... दिनांक..... जासीकर्ता बैंक का नाम..... संलग्न है।